

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं  
आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़



जी.ई. रोड, रायपुर  
(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)


Ph/Fax: 0771-2263234  
Website: www.cghealthuniv.com

क्रमांक / F-90 / N.S-01 / DUHS / विकास / EOI / 8495 / 2017 रायपुर, दिनांक 07/09/2017

द्वितीय दीक्षांत एवं अन्य समारोह के केटरिंग व्यवस्था हेतु  
“रुचि की अभिव्यक्ति”

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, में होने वाले द्वितीय दीक्षांत समारोह तथा समय-समय पर होने वाले अन्य कार्यक्रमों हेतु (अतिविशिष्ट / विशिष्ट अतिथियों एवं आमंत्रित सदस्यों एवं छात्र/छात्राओं) के लिए खान-पान (केटरिंग) जिसमें (ब्रेकफास्ट, चाय, लंच तथा पीने का पानी सम्मिलित है।) की व्यवस्था के लिए मात्र स्थानीय स्थापित एवं प्रख्यात होटलों से “रुचि की अभिव्यक्ति” (EOI) स्पीड-पोस्ट द्वारा कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम से आमंत्रित की जाती है।

रुचि की अभिव्यक्ति फार्म एवं अन्य शर्तें विश्वविद्यालय के वेबसाइट [www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) पर उपलब्ध है, जिसे डाऊनलोड किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय के वेबसाइट से रुचि की अभिव्यक्ति का फार्म डाउन लोड करने की अंतिम तिथि	रुचि की अभिव्यक्ति का फार्म विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि	रुचि की अभिव्यक्ति का लिफाफा खोलने की अंतिम तिथि
 दिनांक 13 09.2017 तक	दिनांक 14.09.2017 अपरान्ह 12.00 बजे तक	दिनांक 14.09.2017 उपरान्ह 3.00 बजे



कुलसचिव

पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य  
विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छ.ग., रायपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं  
आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़



जी.ई. रोड, रायपुर  
(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

Ph/Fax: 0771-2263234  
Website: www.cghealthuniv.com

क्रमांक / F-90 / N.S-01 / DUHS / विकास / EOI / 8495 / 2017 रायपुर, दिनांक 07/09/2017

रुचि की अभिव्यक्ति के फार्म का मूल्य रु 500.00

बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .....

दिनांक : .....



द्वितीय दीक्षांत एवं अन्य समारोह के केटरिंग व्यवस्था हेतु

“रुचि की अभिव्यक्ति”

हेतु नियम एवं शर्तें

नोट :- रुचि की अभिव्यक्ति वाले बोलीदाता (बिडर) प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।





रूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित पात्रता की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार हैं :-

1. पंजीकृत फर्म जिसके पास फूड कंट्रोलर छ.ग. से वैध प्रमाण-पत्र, \*पेन नं., जी.एस.टी. नं. प्राप्त हो, वे संस्थान ही रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगे (उक्त सभी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति रूचि के अभिव्यक्ति फार्म के साथ में संलग्न करें।)
2. फर्म के पास विश्वविद्यालय अथवा इसी प्रकार के अन्य संस्थाओं में केटरिंग कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष या इससे अधिक का अनुभव हो, इस बाबत प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
3. फर्म को बेस किचन का संचालन का अनुभव होना चाहिए, जिसमें प्रतिदिन कम से कम 1000 लोगों के लिए भोजन सर्व किया जाता हों।
4. फार्म के साथ संलग्न मीनू में दर्शित सामाग्रीयों का निर्माण उच्च क्वालिटी के तेल/घी (ISI) मार्का से किया जाना होगा।
5. खाद्य सामाग्री के वितरण एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
6. परोसे जाने वाले सभी खाद्य सामाग्रीयां उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
7. फर्म द्वारा खाद्य सामाग्री का निर्माण का स्थल साफ-सुथरा तथा हाईजिनिक होना चाहिए।
8. भोजन सर्व करने के कार्य हेतु अनुभवी एवं दक्ष कर्मचारियों को लगाना होगा जो साफ-सुथरे तथा परिचय-पत्र युक्त ड्रेस में होंगे।
9. समारोह में आमंत्रित अतिथियों के लिए लंच हेतु काकरी टेबल, कुर्सी, कनात एवं पानी इत्यादि की व्यवस्था फर्म के द्वारा ही की जावेगी।
10. संस्थान की दर अनुमोदन के पश्चात् 100 रूपये के नॉनज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करने के उपरान्त ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा।
11. मीनू के अनुसार फर्म केटरिंग हेतु अपना दर लगने वाले टेक्स सहित सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करे जिसके ऊपर केटरिंग हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) लिखा होना चाहिए।
12. खाद्य सामाग्री के वांछित गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पायी जाने अथवा केटरिंग व्यवस्था पूर्ण न करने या छोड़ने की स्थिति में फर्म द्वारा

